न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकितय वाद सं0–81 सन् 2022

रमेश प्रसाद गुप्ता...................................वादी।

बनाम

राजेन्द्र शर्मा वगैरह.....................................प्रतिवादीगण।

दिनांक–02.09.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 31.07.2025 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 07 ''ख' दिलीप कुमार शर्मा वल्द स्व0 महावीर शर्मा थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 03.11. 2024 को नावल्द हो गई है। न्यायहित में प्रतिवादी सं0 07 'ख' का नाम वादपत्र से कलमजद करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 07 ''ख' दिलीप कुमार शर्मा वल्द स्व0 महावीर शर्मा का नाम वादपत्र से कलमजद करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन कर प्रतिउत्तर दिनांक 02.09. 2025 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 प्रतिवादी सं0 07 ''ख' दिलीप कुमार शर्मा वल्द स्व0 महावीर शर्मा थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 03.11.2024 को नावल्द हो गई है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ विलंब से दाखिल किया गया है, जिसके कारण वाद अबेट कर चुका है। अतः वादी की ओर से दाखिल उपरोक्त आवेदन दिनांक 31.07.2025 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें। वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, प्रथम्

सोनपुर, सारण।